

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1463/ग्यारह-9(128)/16-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(169)-2016
लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2016

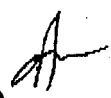
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-एक में, क्रम संख्या 1 की प्रविष्टि में, खण्ड (क) में, शब्द "हसिया" के स्थान पर शब्द "हसिया एवं साइथ" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।